रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1818] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937
No. 1818] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2015

का.आ. 2346(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 862(अ), तारीख 26.03.2009 द्वारा तमिलनाडु राज्य में रारा–45 के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर 121.000 कि.मी. से 192.250 कि.मी (टिंडीवनम–ऊलून्दूरपेट सेक्शन) तक के खण्ड का चार लेन के विभाजित सड़कमार्ग में विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स जी एम आर ऊलून्दूरपेट एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा का.आ. 862(अ), तारीख 26.03.2009 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैः–

1. अधिसूचना की टिप्पणी 1. (क) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

   ''उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाए गए अनुसार आधार दर पर शुल्क जिसे निकटतम पांच रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।''

2. टिप्पणी 1. (क) (iii) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः

   ''परियोजना खण्ड की लम्बाई 72.900 कि.मी. है और प्रयोक्ता शुल्क रारा–45 पर 148.900 कि.मी. पर (पुराना चैनेज) स्थित टोल प्लाजा पर (विल्लुपुरम जिले में विकिरावंडी गांव के पास) संग्रहीत किया जाएगा।''

3. अधिसूचना की टिप्पणी 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

   ''जैसा कि रियायत करार में व्यवस्था की गई है, रियायग्राही बारम्बार तथा स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए, इस अधिसूचना के सार तथा कटौती की योजना को दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगा (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) जिसमें, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम–से–कम दस दिन पहले, इस अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार संशोधित शुल्क को प्रभावी बनाने से दस दिन पहले ऐसे सार को भी दोहराया जाएगा।''

4. निम्नलिखित को टिप्पणी 11 के रूप में जोड़ा जाएगाः

"जो यांत्रिक वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।"

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/447/सीओ/08–09/जीसी–विल्लुपुरम(121.0–192.25.25) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

[**संदर्भः** अधिसूचना संख्या 862(अ), तारीख 26 मार्च, 2009]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2015

S.O. 2346(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Collection of fees by any person for user of Section of National Highways/ Permanent Bridge/ Temporary bridge on National Highways) Rules, 1997, Central Government, vide notification S.O. 862(E), dated the 26.03.2009 authorized M/s. GMR Ulundurpet Expressway Private Limited to collect and retain the fee for the development, operation and maintenance of the stretch from km 121.000 to km 192.250 (Tindivanam - Ulundurpet section) of NH-45 in the state of Tamil Nadu to four lane divided carriageway on Build, Operate and Transfer (BOT) basis.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Collection of fees by any person for user of Section of National Highways/ Permanent Bridge/Temporary bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published *vide* S.O. 862(E) dated 26.03.2009.

1. Notes 1. (a) (ii) of the Notification shall be substituted as follows:

   "Fee at the base rate as shown in column (3) of the above Table, and shall be rounded off to the nearest five rupee;"

2. Following shall be added as Notes 1. (a) (iii):

   "Length of the project section is 72.900 km and user fee shall be collected at Toll Plaza located at km 148.900 (Old chainge) on NH- 45 (near village Vikiravandi, in Villuppuram district)."

3. Notes 7 of the Notification shall be substituted as follows:

   "The Concessionaire shall publish substance of this notification and the scheme of discount to frequent and local users, as provided in the Concession Agreement, in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation. Such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised Fee as per this notification."

4. Following shall be added as Notes 11:

   "A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4 of National Highways fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles."

[F. No NHAI/13013/447 /CO/08-09/GC- Villupuram (121.0-192.25) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

[**Refer :** Notification number S.O. 862(E), dated the 26th March, 2009]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.